



Neutral Citation No. - 2026:AHC:41847

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2764 वर्ष 2026

रणजीत सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:अरुण कुमार बाजपेयी, कार्तिकेय पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:सी.एस.सी

न्यायालय संख्या - 30

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कार्तिकेय पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह उ. प्र. पुलिस में एक कांस्टेबल है। उसके खिलाफ एक आरोप-पत्र के माध्यम से विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी, और रिट याचिकाकर्ता को 10.2.2026 की एक विशेष तारीख पर पेश होने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को 25.02.2025 को पेश होने के लिए कहा गया था।
3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह एक टाइपिंग की गलती प्रतीत होती है; हालाँकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, शिकायत और प्राथमिक आपत्ति की प्रति उसे नहीं दी गई है, जिसके कारण वह आरोप-पत्र का प्रभावी जवाब देने में असमर्थ है।
4. राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि एक बार जब जांच अधिकारी नियुक्त हो जाता है, तो जांच के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज़ रिट याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। इसमें रिट याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह मामले की स्थिति और जांच के चरण के अनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी या जांच अधिकारी के समक्ष उचित मध्यस्थता का अनुरोध करे। इस अनुरोध पर, जांच अधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी (जैसा भी मामला हो) संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध कराएगा, बशर्ते कि वे दस्तावेज़ गोपनीय प्रकृति के न हों या उनका संबंध किसी न्यासीय संबंध से न हो। यदि ऐसे दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो इस संबंध में उचित और सुविस्तृत कारण बताए जाने चाहिए।

24 फरवरी, 2026

ए.एन. मिश्रा

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”